छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम् विधान सभा का अष्टम् सत्र

(फरवरी–मार्च, 2026 सत्र)

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 को
माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर
श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा
सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत

कृतज्ञता - ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :–

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्री कवासी लखमा, सदस्य
4. श्री उमेश पटेल, सदस्य
5. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
6. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
7. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
8. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
9. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
10. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
11. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य
12. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
13. श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य
14. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
15. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य
16. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
17. श्री संदीप साहू, सदस्य
18. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
19. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
20. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
21. श्री जनक ध्रुव, सदस्य
22. श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष

किन्तु खेद है कि –

1. तेन्दूपत्ता संग्राहकों को रूपये 4500/– प्रतिमाह बोरा बोनस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के बढ़ते हुए अपराध के नियंत्रण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में महिलाओं की तस्करी एवं महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
4. बढ़ी हुई बिजली दरों पर रोकथाम की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में अवैध रेत परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के किसानों को मांग के अनुरूप खाद एवं बीज की व्यवस्था की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश की जर्जर सड़कों के निर्माण की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के अस्पतालों में समुचित दवाईयों की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के स्कूलों के रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने की समय–सीमा का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापकों, व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
15. जन जीवन मिशन योजना के समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में प्राप्त भ्रष्टाचार नियंत्रण के समाधान का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री के नियंत्रण की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के नियंत्रण की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के वन्य जीवों के संरक्षण एवं मौत के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश की सहकारी समितियों के आर्थिक उत्थान की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश में बढ़ते अपराध के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में कार्यरत दैनिक वृत्ति एवं अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अनाज के भण्डारण की व्यवस्था के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण की कार्ययोजना का विवरण का कोई उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिक्त प्रशिक्षकों की भर्ती की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने की तत्कालीन कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में चल रहे प्रशासनिक आतंकवाद के नियंत्रण की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश में प्रतिदिन घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश में साईबर अपराध के नियंत्रण की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश के जिला कार्यालयों में लंबित शिकायतों के समयबद्ध समाधान की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश के विद्युत संयंत्रों के निकलने वाले फ्लाईएश का सुचित निस्तारण की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश के लंबित 93768 राजस्व प्रकरणों के समय–सीमा के निराकरण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
33. शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम एवं बेदखली की कार्यवाही की योजना का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में लगातार बढ़ रही औद्योगिक दुर्घटनाओं के नियंत्रण की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र में पेसा कानून के पालन किए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

36. बजट में पारित पूंजीगत निर्माण कार्यों की समयबद्ध कार्ययोजना ईम्प्लीमेंट किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

37. प्रदेश के किसानों के ऋण माफी योजना का उल्लेख नहीं है।

38. प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को नियंत्रण करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

39. शहरी तरल अपशिष्ट एवं ठोस अपशिष्ट निस्तारण एवं प्रबंधन की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. 3100 रू. प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
2. छ.ग. उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी ब्याजयुक्त ऋण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. स्टेट कैपिटल रीजन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं।
4. छात्रों को कॉलेज आने–जाने के लिये मासिक ट्रेवल अलाउंस का कोई प्रावधान नहीं है।
5. रानी दुर्गावती योजना अंतर्गत BPL बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन पत्र का कोई उल्लेख नहीं है।
6. शक्ति पीठ परियोजना अंतर्गत 1000 कि.मी. में 5 शक्ति पीठों का विकास के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
7. घर–घर सरकारी सेवायें पहुंचाने के लिये 1.50 लाख बेरोजगार युवाओं की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
8. संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर किसी भी राहत का कोई उल्लेख नहीं है।
9. किसानों की आय दुगनी करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
10. किसानों की ऋण माफी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
11. बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में हो रहे वनों की अवैध कटाई की रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. हर संभाग में सी.आई.एम.एस. और हर लोकसभा क्षेत्र में सी.आई.टी. स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. 500 नये जन औषधि केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. सरकार द्वारा शासकीय विभागों में एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
16. नया रायपुर को इनोवेशन इन बनाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
17. महिलाओं को 500 रू. में गैस रिफिल देने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. महिला सुरक्षा हेतु विशेष महिला थाना स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. यू.पी.एस.सी. पैटर्न पर छ.ग. लोक सेवा आयोग परीक्षा लागू करने को कोई उल्लेख नहीं है।
20. भ्रष्टाचार विरोधी आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री एवं अत्यधिक शराब बिक्री के नियंत्रण हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. प्रदेश के अस्तपाल में रिक्त चिकित्सकों की भर्ती की हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 4500/– प्रति मानक बोरा बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
4. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के नियंत्रण हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है।
6. प्रदेश के वनों की अवैध कटाई के नियंत्रण हेतु कोई योजना नहीं है।
7. प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पड़े पदों की भर्ती हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री उमेश पटेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण की कोई योजना नहीं है।
4. प्रदेश के अस्पतालों में दक्ष चिकित्सकों की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की कार्य योजना का उल्लेख नहीं हैं।
6. प्रदेश में भवनविहीन शालाओं में भवन निर्माण की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में फ्लाई ऐश (राखड़) के भंडारण से प्रभावित जिलों में फ्लाई ऐश डिस्पोजल की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगरी भत्ता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के आई.टी.आई. में दक्ष तकनीकी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश के किसानों को खाद बीज की समुचित व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में अवैध खनिज भण्डारण के नियंत्रण हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों में नियंत्रण हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित भण्डार हेतु कोल्ड स्टोरेज निर्माण की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में शौचालयविहीन शालाओं में शौचालय निर्माण कराये जाने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापकों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश में गौण खनिज के अवैध परिवहन में नियंत्रण हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. सार्वजनिक आयोजनों के दौरान बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।
2. माइनिंग क्षेत्रों में प्रदुषण के नियंत्रण हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
3. डौण्डी लोहारा विधानसभा अंतर्गत अवैध रेत उत्खनन को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
4. अनुसूचित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और भूमि अधिग्रहण में पेसा (PESA) कानून के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
5. वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक गश्त या प्रभावी पुलिसिंग का उल्लेख नहीं है।
6. शासकीय कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
7. डौण्डीलोहारा विधानसभा में पर्यटन को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
8. राज्य के शासकीय विद्यालयों के उन्नयन, जर्जर भवनों के पुनर्निमाण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पर स्तरोन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में कृषकों को धान बेचने हेतु टोकन कटवाने में आ रही समस्याओं को दूर करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
11. बालोद जिले सहित अन्य जिलों में केन्द्रीय विद्यालय के स्थापना के संबंध में उल्लेख नहीं है।
12. डौण्डीलोहारा विधानसभा अंतर्गत हाथी प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को समय पर मुआवजा व सुरक्षा घेरा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. डौण्डीलोहारा विधानसभा में पुराने और जर्जर पुलों के नवनिर्माण की कोई समयबद्ध योजना का उल्लेख नहीं है।
14. डौण्डीलोहारा विधानसभा में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई सिंचाई योजनाओं (स्टॉप डेम) का प्रावधान नहीं है।

15. प्रदेश में आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए देवगुड़ी संरक्षण के संबंध में उल्लेख नहीं है।
16. अवैध शराब की पैकरी पर अंकुश लगाने की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
17. सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने हेतु ''ट्रैफिक पुलिस'' के सुदृढ़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में वनों की कटाई रोकने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और लंबित सरकारी भर्तियों की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में आवारा पशुओं के रख–रखाव हेतु कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के विद्युत विहीन ग्रामों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
4. किसानों के उत्पादित कृषि उत्पादों की विक्रय हेतु कैश काउन्टर खोलने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बढ़ते साईबर अपराध के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री के नियंत्रण हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में भवन–विहीन शालाओं में भवन निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के अस्पतालों में दक्ष चिकित्सकों की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. बढ़ती हुई महंगाई के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों में नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में अवैध खनिज भण्डारण के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के किसानों को खाद बीज की समुचित व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में तकनीकी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में गौ संरक्षण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
20. दैनिक उपयोग की वस्तुओ के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में वनों पत्रों के संग्रहण एवं विक्रय का कोई उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश के बढते पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
23. राज्य में निवासरत विधवा, परिव्यक्ता महिलाओं, कुपोषित बच्चों के कल्याण एवं उत्थान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
24. पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये प्रत्येक जिले में छात्रावास खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में साईबर अपराध नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
26. कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से ओ.पी.एस. प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में सीमेंट एवं गिट्टी के दामों में वृद्धि के रोकथाम की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
28. सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम का कोई उल्लेख नहीं है।
29. डी.एम.आई.एफ. फंड के अनुचित उपयोग को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
30. पर्यटन स्थल के विकास की नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
31. भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश के किसानों को पूरा बिजली बिल माफ का कोई उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में भू–माफिया पर रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश में सीवरेज का पानी नदी में जाने से रोकने हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
36. बुनकरों व शिल्पकारों के विकास के लिये किसी कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
38. पेट्रोल व डीजल में वेट टैक्स कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।
39. भूमिहीन मजदूरों को लाभ पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है।
40. महिला स्व–सहायता समूहों को राहत देने का कोई उल्लेख नहीं है।
41. प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हितो का कोई उल्लेख नहीं है।
42. प्रदेश में मितानिनों के वेतन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
43. प्रदेश में मनरेगा योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
44. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय नवीन पॉलीटेक्नीक कॉलेज प्रारंभ हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
45. प्रदेश में घटते जल स्तर को रोकने हेतु प्रभावी ठोस कदम का कोई उल्लेख नहीं है।

46. प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लो–वोल्टेज एवं ट्रॉसफार्मर उपलब्धता की समस्या का समाधान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
47. महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं के लाभांवित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
48. वीर योद्धा जलकरन भतरा शासकीय महाविद्यालय, बकावण्ड जिला बस्तर में स्नातकोत्तर की कक्षायें संचालित/उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
49. प्रदेश में जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
50. प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।
51. प्रदेश में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
52. बस्तर में एडवेंचर स्पोर्टस अकादमी के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
53. प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
54. प्रदेश में शौचालय विहीन शालाओं में शौचालय निर्माण की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
55. प्रदेश में उपार्जित धान के भण्डारण हेतु भंडार गृह निर्माण की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
56. प्रदेश के मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
57. प्रदेश के वन क्षेत्र में हो रही कमी को रोकने की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
58. प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण शुल्क की बढ़ोतरी को रोकने की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
59. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
60. प्रदेश के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने का कोई उल्लेख नहीं है।
61. जिला बस्तर अंतर्गत जर्जर भवनों में संचालित हो रहे स्कूलों हेतु नवीन शाला भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
62. जिला बस्तर अंतर्गत संचालित हाई स्कूलों को हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
63. शासकीय कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल विकास खण्ड व जिला बस्तर में छात्राओं की सीट संख्या में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।

64. जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के निर्माण हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

65. नगरीय क्षेत्रों में पूर्व से संचालित जल प्रदाय योजना के संरक्षण/संवर्धन का कोई उल्लेख नहीं है।

66. नगरीय क्षेत्रों में पौनी पसारी समृद्धि योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

67. आर्थिक रूप से कमजोर निकायो के लिये आर्थिक सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।

68. नगरीय निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

69. प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

70. प्रदेश में वकीलों के लिये विशेष सुरक्षा कानून का कोई उल्लेख नहीं है।

71. प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने का कोई उल्लेख नहीं है।

72. चिटफंड घोटाले के हितग्राहियों को राशि वापस किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

73. प्रदेश में नगर सैनिकों को समान कार्य के लिये समान वेतन प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

74. ग्राम पंचयतों के बुनियादी ढ़ाचों को सुद्ढ़ करने हेतु आदर्श ग्राम विकास योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

75. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों का सौंदर्यीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

76. बस्तर विधान सभा अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़को की मरम्मत एवं नवीन सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

77. पंचायत में संचालित डाटा एन्टी ऑपरेटर की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

78. प्रदेश के पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।

79. धान के उठाव व कस्टम मीलिंग संबंधी कार्यो को समय–सीमा में किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

80. गरीब कल्याण योजना के लाभ से वंचित हितग्राहियों को लाभ दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

81. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

82. मिलावटी एवं गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थो को रोकने/जांच कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

83. प्रदेश में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है।
84. प्रदेश में नगरनार स्टील प्लांट में शासन की नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
85. प्रदेश में मजदूर के पलायन को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
86. प्रदेश में दैनिक मजदूरों के लिये सम्मान जनक आय सुनिश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
87. प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की समग्र नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
88. प्रदेश में किसानों का ऋण मांफी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
89. प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर किसी भी राहत का कोई उल्लेख नहीं है।
90. प्रदेश में 3100/– रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हेतु एकमुश्त नगद राशि भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।
91. प्रदेश में शासकीय विभागों में एक लाख सरकारी नौकरीयों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
92. प्रदेश में महिलाओं को 500/– रूपये में गैस रिफिल का कोई उल्लेख नहीं है।
93. प्रदेश के वन प्राणियों के बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन का कोई उल्लेख नहीं है।
94. महिलाओं के उत्पीड़न एवं यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं के नियंत्रण की कोई योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
95. प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
96. प्रदेश के वनों की अवैध कटाई रोकने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
97. प्रदेश की राजधानी के आसपास स्थापित औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जित हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
98. प्रदेश में गौण खनिज के अवैध परिवहन के नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
99. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
100. प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापकों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री भोलाराम साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद एवं बीएड एवं डीएड डिग्रीधारिओं की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
2. राज्य में निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के संबंध में कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़कों की मरम्मत किये जाने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में आयुष्मान कार्ड योजना अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों का भुगतान नहीं किये हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
5. राज्य के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ सेवाओं केन्द्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी एवं अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता नहीं होने के संबंध कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश क ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली एंव डिजिटल संसाधनों की कमी है इस संबंध में कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में धान खरीदी की राशि का भुगतान किस्तों में दिया जा रहा है। इस हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के माताओं–बहनों महतारी वंदन का 500 रूपये दिया जा रहा है, उन्हें 1000 रूपये मिलना चाहिए। इस हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के विभिन्न दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों के अभाव, पुल–पुलिया एवं मुलभूत सडकें, स्कूल, आंगनबाड़ी व अस्पताल पहुंच मार्ग सड़कों के निर्माण हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में धान खरीदी प्रक्रिया पंजीयन, ऑनलॉईन टोकन प्रगति में सर्वर डाऊन नेटवर्क समस्या और तकनीकी त्रुटियों से किसान परेशान हुए है, इस संबंध में सरलीकरण हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

8. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में बढ़ते मादक पदार्थों के विक्रय को नियत्रंण/रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में कार्यरत ''मितानिनों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति (मानदेय) को 50 प्रतिशत वृद्धि करने व नियमित करने का कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
3. शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोईयों एवं सफाई कर्मी के वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में गैस सिलेंडर को 500रू. में देने के वादे के क्रियान्वयन हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
6. राज्य शासन के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं और विसंगतियों के संबंध में कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में किसानों को समुचित खाद–बीज की कमी का निराकरण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश की नदियों को एक दूसरे से जोड़ने हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में गौ–संरक्षण हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण हेतु स्पोर्टस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
12. छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध खनिज भण्डारण के नियंत्रण हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के कृषकों को धान विक्रय हेतु टोकन कटवाने में आने वाली विसंगति को दूर करने हेतु किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के जंगलों में हो रही अवैध कटाई को रोकने के हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में ''कृषक उन्नति योजना'' का धरातल पर क्रियान्वयन करने हेतु कोई कार्य योजना का कार्य उल्लेख नहीं है।

16. प्रदेश में ''दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना'' का क्रियान्वयन करने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

17. प्रदेश में ''सहकार से समृद्धि योजना'' के क्रियान्वयन हेतु कोई स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।

18. छत्तीसगढ़ प्रदेश की आधार सिंचाई परियोजानाएं लक्ष्य से कम है जिसकी पूर्ति करने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

19. प्रदेश में पी.एम.जनमन योजना तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का समयानुसार अनुकूल क्रियान्वयन करने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश में ''मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना'' के क्रियान्वयन करने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश में ''प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'' पर प्रशासन का नियंत्रण करने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' के वार्षिक संधारण एवं मरम्मत कार्य हेतु राशि की कमी की पूर्ति हेतु स्पष्ट निर्देश का उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश में प्रधानमंत्री ''सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना'' हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने दिशा–निर्देश हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

24. छत्तीसगढ़ प्रदेश में ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान का धरातल पर क्रियान्वयन हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

9. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में धरमजयगढ़ अन्तर्गत सरिया नाला–खडगांव कोन्धा के मध्य वृहद पुल निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में ग्राम ओंगन से भंडारीमुडा, ग्राम पुसल्दा से पियाईदरहा एवं ग्राम पियाईदरहा से बदुराकछार सड़क निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. विधान सभा धरमगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम कापू में महाविद्यालय खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. विधान सभा धरमजयगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम टाही में महाविद्यालय खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. विधान सभा धरमजयगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत ऐड्रकला से बगयथा मार्ग में चीनी नाला वृहद पुल निर्माण निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
6. विधान सभा धरमजयगढ़ क्षेत्र के छाल तहसील अन्तर्गत ग्राम छाल में आई.टी.आई. केन्द्र खोलने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. विधान सभा धरमजयगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत बामसी–नरकालो एवं रायमेर–ससकोबा के मध्य वृहद पुल निर्माण हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. ग्राम छाल में महिला चिकित्सक की पदस्थापना किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
9. विधान सभा धरमजयगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत कोरजा नदी खम्हार पदुकधार के मध्य वृहद पुल निर्माण किये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2023 के सहायक शिक्षक के 2300 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री एवं सरकार द्वारा अत्यधिक शराब बिक्री के नियंत्रण हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के अस्पतालों में रिक्त चिकित्सकों की भर्ती की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4500 /– प्रति मानक बोरा बोनस दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के नियंत्रण हेतु किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई उपाय का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई का नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के स्कूलों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में मध्यान्ह भोजन रसोईया व सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में कार्यरत संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के सड़कों व पुल–पुलियों की खराब स्थिति को सुधारने का कोई उल्लेख नहीं हैं।
4. प्रदेश के किसानों को सुगमता से और मांग अनुसार सरकारी कीमत पर खाद बीज उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. छत्तीसगढ़ के जंगलों को बचाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में धमतरी से कांकेर रेल लाईन विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरस्त करने विशेषज्ञ डॉक्टरों के भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
9. नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए कोई नये प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
10. महतारी वंदन योजना से वंचित माता–बहनों को योजना में शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में गौवंश के उचित देखभाल व रख–रखाव हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
12. छत्तीसगढ़ में बंद पड़े मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिटों का पुनः चालु करने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में नये धान खरीदी केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
14. किसानों को उनके उपज का भुगतान सीधे पंचायतों के माध्यम से करने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में जर्जर एवं मरम्मत योग्य स्कूलों के जीर्णोधार का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में रायपुर से जगदलपुर के लिए नियमित वायु सेवा का कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में रेत के अवैध कारोबार को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश में बस्तर एवं सरगुजा संभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता का कोई उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में कार्यरत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश में बेलगाम हो चुके कानून व्यवस्था को दुरस्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश में वनाधिकार पट्टे हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर पट्टे दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

22. प्रदेश में 500 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

23. प्रदेश में नया मेडिकल कॉलेज खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में आगामी वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर 31 जनवरी, के स्थान पर 15 फरवरी तक धान खरीदी का कोई उल्लेख नहीं है।
2. छ.ग. सरकारी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि करने एवं सर्वे कर अधिक किसानों को उक्त योजना का लाभ दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में भूमिहीन कृषक मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000/–के स्थान पर 15,000/– दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. गुणवत्तापूर्ण बीज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के किसानों को सर्वे कर अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदाय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में किसानों द्वारा उपजाया खाद्यान्न निर्यात बढ़ाने सरकार को पूर्व में इस कदम के उठाना की ओर कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
6. दलहन–तिलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना प्रति क्विंटल दिये जाने वाले 1000 के अनुदान को बढ़ाकर रू. 5000/– किये गया है। जिसे रू. 7000/– करने का कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
7. फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन करने धान के बदले अन्य फसल लेने कृषकों को प्रति एकड़ 11,000/– आदान सहायता राशि के स्थान पर 13,000/– किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. खाद्यान्न तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने, केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान के अतिरिक्त 69 हजार 620 रूपये का टापअप अनुदान रू. 70,000 किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. छत्तीसगढ़ में कोदो और रागी जैसे मिलेट्स अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान उत्पादन करते है। उन्हे आत्म निर्भर बनाने छ.ग. सरकार द्वारा निःशुल्क बीज, खाद्य उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. छ.ग. के वनांचल क्षेत्र में जैविक खेती के लिए अनुकूल संभावनाएं हेतु प्रदेश में 38 हजार हे. क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है। प्रोत्साहन कर 50 हजार हे. क्षेत्र में जैविक खेती हेतु प्रेरित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. खेती किसानी से जुड़ी अर्थव्यवस्था विस्तार पशुपालन को बढ़ावा देने सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ, MOU के साथ, पशु गोठानों को पुनः गांवों में सुदृढ़ीकरण प्रारंभ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. सहकारिता तहत सहकार से समृद्धि योजना तहत 488 नवीन डेयरी समितियों का गठन किया गया है। अधिक समितियों का गठन कर दुध का क्रय मूल्य 40/— पर किसानों का आय बढ़ायी जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. इस वर्ष दुध का उत्पादन 2500 हजार टन होने एवं प्रति व्यक्ति 250 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से उत्पादन बढ़ाने प्रयास किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

14. मत्स्यपालन के क्षेत्र में कांकेर जिला—देशभर में मॉडल जिला है। प्रदेश के सभी जिलों के कृषकों को प्रशिक्षण देकर किसानों के आय में वृद्धि की जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

15. छ.ग. सिंचाई परियोजना का विस्तार करते हुए 21 लाख 76 हजार हे. के स्थान पर अधिक से अधिक सिंचाई क्षमता में वृद्धि कर किसानों के आय बढ़ाने में प्रयास किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. 73 हजार हे. से अधिक सिंचाई सुविधा में विस्तार एवं पुनर्स्थापन हेतु 477 के लिए 1874 करोड़ स्वीकृति है जो पर्याप्त नहीं है, कम से कम 2100 करोड़ रू. स्वीकृति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

17. सिंचाई योजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि मुआवजे निपटाने वित्तीय वर्ष 2024—25 में 400 करोड़ रू. मुआवजे भुगतान, वन भूमि हेतु 100 करोड़ किये राशि अपर्याप्त होने से वन प्रभावित सिंचाई योजनाओं के निर्माण में प्रगति नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है।

18. महतारी वंदन योजना में बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के मातायें, बहनों को नाम जुड़वाने अवसर प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

19. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह जोड़ों के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करते हुये प्रति जोड़ी रू. 1.00 लाख अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

20. मातृशक्ति की योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों के माताओं बहनों के हुनर को आगे—बढ़ाने महतारी सदन की भवन स्वीकृति में वृद्धि किया जावे, वर्तमान स्वीकृति अपर्याप्त का कोई उल्लेख नहीं है।

21. पोषण ट्रैकर एप—राशि में वृद्धि कर नैनिहालों के कुपोषण से नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।

22. आत्मसमर्पित माओवादियों के पुर्नवास एवं रोजगार की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित है। सरकार के प्रति अविश्वास की भावना जाग्रतन होने का कोई उल्लेख नही है।

23. बस्तर में विकास के लिए सड़क, पुलिया की स्वीकृति दी गयी है, सड़क पुल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के 01 वर्ष के अंदर सड़के खराब हो रही है। गुणवत्ता पर ध्यान देने का कोई उल्लेख नहीं है।

24. राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में दर्शित वनाधिकार पत्र धारकों को भूमि मरम्मत हेतु अनुदान राशि स्वीकृति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

25. तेदूंपत्ता संग्रहण कर्ताओं को इस सत्र से 6000 भुगतान किया जावे तथा चरण पादुका के स्थान पर प्रतिग्राही को अपने पसंद से क्रय करने रू. 700/– नगद भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

26. आदिम जाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति राशि में इस वर्ष से वृद्धि की जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

27. प्रधानमंत्री आवास की वर्तमान में स्वीकृति राशि अपर्याप्त है, मंहगाई के कारण, सीमेंट छड़, गिट्टी, ईट के भाव बढ़ गये है राशि 60 प्रतिशत तक वृद्धि की जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

28. क्लाइमेंट चेंज समय की बड़ी चुनौती है, प्रदेश में वनों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, कई क्षेत्रों में वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है।

29. सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 100 प्रतिशत अनुदान देकर सौर ऊर्जा लगाये जाने प्रोत्साहित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

30. नवा रायपुर में बाम्बे हॉस्पिटल के साथ MOU रू. 680 करोड़ की लागत से किया गया है। उक्त अस्पताल में BPL वर्ग के लोगों की ईलाज निःशुल्क होने का कोई उल्लेख नहीं है।

31. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत योजना के तहत 81 लाख परिवार व 4 हजार 551 करोड़ भुगतान किया गया है। भविष्य में सभी छ.ग. के निजी अस्पतालों में उक्त योजना का लाभ BPL वर्ग को मिलने का कोई उल्लेख नहीं है।

32. मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को अधिक सरलीकृत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

33. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण हेतु अधिक बजट का प्रावधान नहीं है।

34. वर्तमान में मनरेगा बजट केन्द्र सरकारी व राज्य सरकार राशि ग्राम पंचायतों को जारी नहीं करने से ग्राम विकास कार्य प्रभावित होने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के किसानों के उत्पादित कृषि उत्पादकों को विक्रय हेतु कैश काउन्टर खोलने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में बढ़ते साईबर अपराध के नियंत्रण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं।
4. प्रदेश में मादक पदार्थो की तस्करी रोकने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश की भवन–विहीन शालाओं में भवन–निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में भवन–विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन–निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश के अस्पतालों में दक्ष चिकित्सकों की व्यवस्था किये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं के नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में धान उपार्जन हेतु घटिया बारदाना के उपयोग करने के विरूद्ध कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों में नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में अवैध खनिज भण्डारण के नियंत्रण की योजना का उल्लेख नहीं है।
17. अभिभाषण में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. डॉ मनमोहन सिंह जी का उल्लेख नहीं किया गया है।
18. वनोपज के विक्रय हेतु उचित कृषि उपज मंडी और प्लेटफार्म बनाने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश के उद्यानिकी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

20. प्रदेश के किसानों को खाद–बीज की समुचित व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश में आई.टी.आई. में दक्ष तकनीकी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में गौ–संरक्षण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में उपार्जित धान में से 40 लाख टन धान ओपन मार्केट में टेण्डर कर विक्रय करने से राज्य सरकार को पांच हजार करोड़ का नुकसान रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
25. आम जन के दैनिक उपयोग की सामग्री के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में वनोपज के संग्रहण एवं विक्रय का कोई उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश के बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश के मृतक शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश के खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित भण्डार हेतु कोल्ड स्टोरेज निर्माण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश के वन क्षेत्रों में अवैध कटाई को रोकने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश के आवारा पशुओं के रख–रखाव हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
34. प्रदेश में संचालित सरस्वती सायकल योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
35. प्रदेश में उपार्जित धान के भण्डारण हेतु भण्डार गृह निर्माण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
36. प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण शुल्क की बढ़ोत्तरी को रोकने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
37. प्रदेश के विद्युतविहीन ग्रामों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. स्वास्थ्य के क्षेत्र में लुभावनी सुविधा घोषणा प्रत्येक विकासखंड में डायलिसिस केन्द्र स्थापित करने संबंधी नीति का उल्लेख नहीं है।
2. छत्तीसगढ़ प्रदेश में वृहद सिंचाई योजनाओं के लिए सार्थक प्रयास का उल्लेख नहीं है।
3. छत्तीसगढ़ प्रदेश में घटते जलस्तर को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने संबंधी नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
4. छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योगों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित कदम उठाये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ती महंगाई को रोकने संबंधी नीति का उल्लेख नहीं है।
6. छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने किसी भी विशेष नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
7. छत्तीसगढ़ प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को सुधारने हेतु ठोस नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
8. छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब एवं अन्य नशों से समाज को मुक्त करने संबंधी विशेष नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।
9. छत्तीसगढ़ प्रदेश में (उद्योग एवं खनिज के लिए) वनों की कटाई रोके जाने का उल्लेख नहीं है। वन सम्पदा सुरक्षा के लिए नीति का उल्लेख नहीं है।
10. छत्तीसगढ़ प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में कृषकों को परेशानी हुई है। इसकी सुविधा हेतु किसी भी प्रकार के नीति का उल्लेख नहीं है।
11. छत्तीसढ़ प्रदेश में कुपोषण के कारण अल्प वजन व ठिगनेपन दूर करने किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
12. छत्तीसगढ़ प्रदेश के कर्मचारियों के हित में उनकी जायज मांगों को पूरा करने में सरकार असक्षम रही। इससे शासन के निर्णय समय पर समुचित क्रियाशील नहीं होने का उल्लेख नहीं है।
13. छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला सशक्तिकरण योजना के लिए पात्र महिलाओं का पुनः योजना में सम्मिलित करने का उल्लेख नहीं है।
14. छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अपूर्ण हैं का उल्लेख नहीं है।

15. छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने किसी भी विशेष नीति का उल्लेख नहीं है।

16. छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लो वोल्टेज एवं ट्रांसफार्मर उपलब्धता संबंधी नीति का उल्लेख नहीं है।

17. छत्तीसगढ़ प्रदेश के घरेलू महिलाओं को कम कीमत में रसोई गैस सिलेण्डर प्रदान करने संबंधी नीति का उल्लेख नहीं है।

15. श्री इंद्र शाह मंडावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में प्रतिदिन चाकूबाजी, लूटमार आदि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
2. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयारी हेतु कोई स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में भ्रष्टाचार उन्मुलन पर कोई उल्लेख नहीं है।
4. छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ मिले इसके लिये समुचित व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
5. शासकीय अस्पतालों में दवाईयों की उपलब्धता का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु कोई ठोस नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
7. विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पूर्ण लम्बित प्रकरण को निपटाने एवं बेरोजगारों की समस्या का समाधान हेतु स्पष्ट नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों एवं अन्य स्वास्थ्यगत सुविधाओं को पूर्ण करने की योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में जनहित अनुरूप स्पष्ट आबकारी नीति एवं मादक पदार्थो की अवैध बिक्री पर रोक का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने, कौशल विकास आत्मनिर्भर बनाने जैसे योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ठोस एवं पारदर्शी नीति का कोई उल्लेख नहीं है।
11. छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विकास पर विशेष जोर का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में महिला उत्पीड़न/यौन शोषण की घटनाओं के नियंत्रण हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
2. राज्य में राज्य शासन के अधीन कर्मचारी/अधिकारियों की मूलभूत समस्याओं, वेतन संबंधी विसंगतियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में बढ़ते साईबर अपराध के नियंत्रण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
6. राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और उन्नत करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के किसानों को फसल पर हुए नुकसान पर उचित मुआवजा प्रदान करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी एवं शासकीयकरण करने के वादे के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में नदियों को प्रदुषण मुक्त हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के किसानों को समूचित खाद बीज की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश में गौ–संरक्षण योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के अस्पतालों में दक्ष चिकित्सकों की व्यवस्था किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. प्रदेश में बढ़ते मादक पदार्थो की रोकथाम के लिए कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के नियंत्रण हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

21. प्रदेश में महतारी वंदन योजनांतर्गत नए हितग्राहियों को जोड़ने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश के बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में उपार्जित धान के भण्डारण हेतु भण्डार गृह निर्माण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश में अवैध खनिज भंडारण में नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में गौण खनिज के अवैध परिवहन में नियंत्रण की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में घूमंतू पशुओं के रख–रखाव हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
27. प्रदेश में सरकार द्वारा शासकीय विभागों में एक लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
28. प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण हेतु प्री–मिलेट्री ट्रेनिंग एडवेंचर स्पोर्टस ग्राउंड की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
29. प्रदेश के प्रत्येक जिले में कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटिज स्थापित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
30. प्रदेश में गैस सिलेंडर को 500 रू. में देने के वादे के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।
31. प्रदेश में कानून व्यवस्था, विशेषकर महिला अपराधों और दलितों/आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचारों के प्रभावी नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
32. प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और लंबित सरकारी भर्तियों की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।
33. प्रदेश के जंगलो में हो रहे अवैध कटाई को रोकने का कोई उल्लेख है।
34. प्रदेश के कृषकों का धान बेचने हेतु टोकन कटवाने में आ रही विंसगति को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

17. श्री संदीप साहू, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में खाद्यान्न वितरण केन्द्रों में खराब किस्त के खाद्य (चावल) वितरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के ''मितानित वर्ग'' के मानदेय में वृद्धि और उन्हें नियमित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में महिलाओं के लिये संचालित महतारी वंदन योजनाओं में अधिकतर महिलाओं के नाम छुट गए है या उनके नाम को हटा दिया गया है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश में आदिम जाति के कल्याण के लिये कोई नई योजनाओं का बनाए जाने या उनके क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में किसानों की उत्पादकता के लिये किसी प्रकार की सहकारी क्षेत्रों में स्टोरेज की व्यवस्था की नीति नहीं किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के किसानों के वित्तीय वर्ष 2025–26 में उर्वरक, खाद् बीज के लिये बिचौलियों के उपर निर्भर रहना पड़ा। जिससे सरकार की छवि कृषि व्यवस्था में अच्छी नहीं रही।
7. जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के अंतर्गत संसाधनों में विकास में सिंचाई परियोजनाओं की सीमा में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
8. प्रदेश में किसानों के धान खरीदी की व्यवस्था में किसानों का समूचित रूप से धान खरीदी न होकर धान–भू रकबा का समर्पण कार्य किसानों से जोर–जबरदस्ती हुई।
9. प्रदेश में स्कूलों की रसोईया कर्मियों को समुचित मानदेय नहीं दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
10. स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से डी.एड. धारियों की भर्ती की मांग पर शासन उचित निर्णय नहीं लेने का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में वनों की कटाई निरंतर जोरो पर है जिससे वनों का रकबा घनत्व तेजी से कम हो रहा है। वनों की कटाई रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में नवीन औद्योगिक नीति के चलते नवीन उद्योगों की स्थापना की स्थिति काफी कमजोर व निरंकुश की परिस्थिति में है, बेरोजगारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। इसका उल्लेख नहीं है।

18. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. महतारी सुरक्षा संबंधित स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।
2. गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की बात कही जा रही है, परन्तु उचित समय में किसानों तक बीज उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
3. खाद्यान्न निर्यात के लिये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात कही गई है परन्तु उत्पादन और उत्पादक (कृषक) के लिये विस्तृत कार्ययोजना एवं स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।
4. फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने खरीफ फसल में धान्य के अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया है, परन्तु उत्पादित फसल को कृषक से सम्पूर्ण रूप से खरीदे जाने की व्यवस्था एवं नीति का उल्लेख नहीं है।
5. कोदो, रागी, मिलेट्स एवं जैविक खेती के लिये कृषकों को प्रोत्साहन देने एवं फसल क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मदद के साथ सम्पूर्ण कार्ययोजना के लिये आर्थिक रूप से नीतिगत योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. पशुओं की सुरक्षा, देखभाल आदि के लिये कल्याणकारी योजना एवं नीति का उल्लेख नहीं है।
7. अभिभाषण में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने एवं नौनिहालों को पोषण देने की बात कही गई है, परन्तु नकली दुग्ध उत्पादन, पशुओं में केमिकल प्रयोग आदि पशुओं की सुरक्षा तथा बाजार में नकली दूध पर नियंत्रण हेतु उचित नीति की कमी है।
8. महतारी वंदन योजना में पात्रता की जटिलता एवं तकनीकी खामियों के कारण बड़ी संख्या में वास्तविक जरूरतमंद महिलाएं लाभ से वंचित हो रही है, इनके सरलीकरण अंतिम महिला लाभ पहुंचाने की व्रूवस्था का उल्लेख नहीं है।
9. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष, पारदर्शी, योजनानुरूप हितग्राही सुविधा एवं लाभ प्रदान करने से सम्बन्धित स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।
10. नियद नेल्लानार योजना में 17 विभाग एवं 25 योजना सम्मिलित है, परन्तु धरातल पृष्ठभूमि में इनका क्रियान्वयन हेतु कोई स्पष्ट अनुशासित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
11. बिजली बिल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ–साथ विभाग द्वझरा प्रति माह, विकलन–आकलन–समायोजन/अधिभार आदि अनेक प्रकार से बिजल बिल की गणना कर

उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि वसूल रहे हैं। इनके निराकरण एवं जनहित का कोई स्पष्ट नीति एवं योजना का उल्लेख नहीं है।

12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं बच्चों के लिये बेहतर शिक्षा की बात कही गई है, परंतु पांच कक्षा को एक शिक्षक पढ़एंगे तो बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षक की कमी एवं सेटप पर कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

13. सरस्वती सायकल योजना के तहत कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जाने वाली निःशुल्क सायकल के लिये पात्र बालिकाओं का चयन प्रक्रिया अत्यंत कठिन हैं, ओ.बी.सी. वर्ग की सभी बालिकाओं को सायकल नहीं मिल पाती। सभी बालिकाओं को सायकल मिले इसका उल्लेख नहीं है।

14. विद्यालयों में दी जाने वाली प्री एवं पोस्ट मिट्रीक छात्रवृत्ति को सरलीकृत करने पर जोर नहीं दिया गया है। अ.जा., अ.ज.जा. के छात्र–छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण या तो वंचित होते हैं या कम छात्रवृत्ति मिलती है।

15. भूमिहीन कृषकों को समुचित रोजगार दिलाने के लिये कोई विशेष कल्याणकारी एवं स्थायी ठोस योजना का समावेश नहीं है।

16. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार करने हेतु कोई स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।

17. छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेलों की संरक्षण एवं खेल प्रतिभा की विकास के लिये स्पष्ट योजना का उल्लेख नहीं है।

18. छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विकास पर विशेष जोर नहीं दिया गया है।

19. खुशहाल कृषक की बात कही गई है, परन्तु उचित समय पर खाद–बीज की उपलब्धता निर्धारित हो सके इसके लिये स्पष्ट योजना का अभाव है।

20. युवाओं को रोजगार दिलाने, कौशल विकास, आत्मनिर्भर बनाने जैसे योजनाओं के कियान्वयन के लिये ठोस एवं पारदर्शी नीति का अभाव है।

21. वर्तमान में अधिकांश विभागों में भ्रष्टाचार दृष्टिगोचर हो रहा है, परन्तु भ्रष्टाचार उन्मुलन पर कोई उल्लेख नहीं है।

22. छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के कियान्वयन एवं सभी पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ मिले इसके लिये समुचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

23. शासकीय अस्पतालों में दवाईयों की उपलब्धता पर कोई जोर नहीं दिया गया है।

24. जनहित अनुरूप स्पष्ट आबकारी नीति एवं मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक का उल्लेख नहीं है।

25. कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु कोई ठोस नीति का उल्लेख नहीं है।

26. आए दिन चाकूबाजी, लूटमार आदि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्पष्ट नीति परिलक्षित नहीं होने का उल्लेख नहीं है।

27. विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने समय पर पूर्ण, लम्बित प्रकरण को निपटाने आदि बेरोजगारों की समस्या का समाधान हेतु स्पष्ट नीति दृष्टिगोचर नहीं है।

28. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों एवं अन्य स्वास्थ्यगत सुविधाओं को पूर्ण करने की दिशा में कोई स्पष्ट योजना का समावेश नहीं है।

29. विकसित भारत के लिये किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता की बात कही गई परन्तु किसानों फसल चक्रीकरण अंतर्गत उनके फसलों को खरीदने के लिये शासन के पास समुचित व्यवस्था एवं स्पष्ट योजना का उल्लेख नहीं है।

30. एक पेड़ मां के नाम से पेड़ लगाए जाने की बात कही गई है परन्तु पेड़ों की रख–रखाव समुचित सुरक्षा पेड़ के वृक्ष बनने तक के लिये कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

19. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. किशोर एवं युवा वर्ग द्वारा लगातार चाकूबाजी एवं अन्य अपराधों में लिप्तता दृष्टिगोचर हो रही है, इन्हें नियंत्रित करने सुधार हेतु कोई स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।
2. अवैध खनन व परिवहन, रायल्टी चोरी की रोकथाम के लिये स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में महिलाओं पर शोषण, अत्याचार, अनाचार, अपहरण की मामलों के रोकथाम के लिये स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
4. खरीफ एवं रबी फसलों की बुआई के समय समितियों पर बीज की उपलब्धता पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
5. एक पेड़ मां के नाम के तहत करोड़ों रूपये के पौधे तो लगा दिया परंतु उनकी देखरेख सुरक्षा व संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में कार्यरत अधिकारी–कर्मचारियों के मूलभूत आवश्यकता, मंहगाई भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति इत्यादि का सही समय पर भुगतान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
7. जनहितैषी योजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।
8. आदिवासियों के अमीन अधिग्रहण (पेसा) कानून के आधार पर आदिवासियों के जमीनों की सुरक्षा पर विशेष कार्यनीति का उल्लेख नहीं है।
9. राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों की सामाजिक सुरक्षा के विषय में कोई स्पष्ट नीति परिलक्षित होने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में पवित्र स्थलों में हो रहे आगजनी, दंगा जैसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये कानून का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

20. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मियों के वेतन वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
3. नव विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने कोई उल्लेख नहीं है।
5. राज्य में गौ संरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. राज्य के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन पकाने वाले रसोईयों के मानदेय वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
10. 33000 शिक्षकों के रिक्त पदों में भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश के किसानों के कर्ज मांफी का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
13. आवारा पशुओं के समुचित प्रबंधन का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
15. महिलाओं को 500/– में गैस सेलेण्डर देने का कोई उल्लेख नहीं है।
16. पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश के मितानीनों के मानदेय वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. राज्य के कर्मचारियों को कैशलेस उपचार सुविधा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
20. प्रदेश में बढ़ती हुए बिजली बिल को नियंत्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के अस्पतालों में दक्ष चिकित्सकों के प्रबंध का कोई उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में बिक रहे नकली एवं मिलावटी खाद्य पदार्थो वस्तुओं पर नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
23. उद्योगों से निकलने वाले फ्लाईऐश (राखड) का समुचित प्रबंध का कोई उल्लेख नहीं है।
24. प्रदेश के अवैध खनिज खनन पर नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।

25. प्रदेश के ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु आर्थिक मदद संसाधन का कोई उल्लेख नहीं है।
26. प्रदेश में बढ़ रही हत्या, चाकूबाजी की घटनाओं के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।
27. राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।
28. राज्य के युवाओं के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
29. राज्य के प्रत्येक संभाग में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
30. जांजगीर चाम्पा जिले के परसाही उद्वहन परियोजना के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।

21. श्री जनक ध्रुव, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेराजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
4. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालय आरंभ करने हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों में नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों से उत्सर्जित हो रहे प्रदुषण नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री के नियंत्रण हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
8. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भवनविहिन अस्पतालों में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में पुल–पुलिया निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
13. महिलाओं के उत्पीड़न एवं यौन शोषण की घटनाओं के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं के नियंत्रण की योजना का उल्लेख नहीं है।
15. बढ़ती हुई महंगाई के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के अस्पतालों में दक्ष चिकित्सकों की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
17. प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का उल्लेख नहीं है।

22. श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री एवं अत्यधिक शराब बिक्री के नियंत्रण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के अस्पतालों में रिक्त चिकित्सकों की भर्ती की योजना का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों पद की भर्ती की योजना का उल्लेख नहीं है।
4. वनों की अवैध कटाई के नियंत्रण हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में बढ़ती महंगाई के नियंत्रण हेतु किसी भी योजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 4500/– प्रति मानक बोरा बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।